निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं,
बिहार, पटना
आदेश

आ0सं0–12 / ऑफसेट प्रेस–57 / 2012 / पटना, दिनांक–

स्व0 वृजमोहन चौधरी, ट्रेडिल मशीन चाक, ऑफसेट प्रेस, राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो, बिहार, पटना का देहान्त दिनांक 07.03.05 को हुआ है । बिहार सरकार सरकारी कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना वर्ष 1979, 82 एवं 85 तथा 1997 के अन्तर्गत वित्त विभाग के संकल्प सं0 4185(वि) दिनांक 13.07.85 की कंडिका–5 एवं अधिसूचना सं0–2757(वि0) दिनांक 27.04.98 के द्वारा निर्गत नियमावली के नियम 4(VI) 8(I) एवं वित्त विभाग के पत्रांक 3560 दिनांक 08.05.02 के आलोक में कुल 1,07,743 / –(एक लाख सात हजार सात सौ तैतालीस रूपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

उपर्युक्त संकल्प एवं अधिसूचना तथा नियमों के अन्तर्गत स्व0 वृजमोहन चौधरी, 30 नवमबर, 04 तक योजना के सदस्य रहें है तथा बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप बीमा एवं सरकारी तथा सरकारी कर्मचारी ऐच्छिक ग्रुप बीमा योजना में आदेशानुसार समय–समय पर निर्धारित दर 20, 40, 80, 30 रू0 की दर से अंशदान के रूप में अपने वेतन से भुगतान करते रहे है, जिसका ब्याज सहित गणना निम्न प्रकार है :–

	मूलधन	ब्याज	मिश्रधन भुगतेय
1. पुरानी ग्रुप बीमा योजना	13320.00	62015.00	75335.00
2. नयी ग्रुपबीमा योजना	2400.00	728.00	2408.00
अप्रैल 98 से नवम्बर 04 तक (–)	720.00	..	—
	1680.00		
कुल योग–	**15000.00**	**62743.00**	**77743.00**
नियमावली 1997 के नियम 4(II) के अन्तर्गत अच्छादन से भुगतेय राशि–			**30000.00**
कुल योग–			**107743.00**

भुगतान की जानेवाली राशि 1,07,743.00 / – (एक लाख सात हजार सात सौ तैतालीस रू0) मात्र ।

स्वीकृत राशि की निकासी प्रशासी पदाधिकारी, राज्य प0क0 ब्यूरो, ऑफसेट प्रेस, बिहार पटना द्वारा करने के पश्चात इसका भुगतान इनके दोनों आश्रित लेभा कुमारी एवं कृष्ण मुरारी को बराबर–बराबर मात्रा में किया जायेगा ।

व्यय का वहन लेखा शीर्ष 8011 ग्रुप बीमा और पेंशन बीमा निधि (i) के अन्तर्गत विकलनीय होगा । इसका विपत्र कोड सं0–एल0 8011001050001 है तथा डी0डी0ओ0 कोड सं0–एच0ई0ए0–012 है ।

इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का आदेश प्राप्त है ।

3/10/12

(डा0 सुरेन्द्र प्रसाद)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 185 (प्रेक्षा) /पटना, दिनांक– 8.10.2012

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना/लेखाशाखा (ऑफसेट प्रेस) को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

3/10/12

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना